संक्षिप्त अवलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार के सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा, एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और 11 अनुच्छेद शामिल हैं जिसकी मनी वैल्यू ₹ 1,557.06 करोड़ है।

अध्याय 1: प्रस्तावना

2021-22 के दौरान ₹ 2,15,039 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 1,92,584 करोड़ था। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य का कुल व्यय[1] 25 प्रतिशत बढ़कर ₹ 88,190 करोड़ से ₹ 1,10,437 करोड़ हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय 34 प्रतिशत बढ़कर ₹ 73,257 करोड़ से ₹ 98,425 करोड़ और पूंजीगत व्यय 18 प्रतिशत कम होकर ₹ 13,538 करोड़ से ₹ 11,046 करोड़ हो गया। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 82 से 93 प्रतिशत रहा जबकि पूंजीगत व्यय छः से 17 प्रतिशत था।

(अनुच्छेद 1.3)

2021-22 के दौरान, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के एक अधीनस्थ संगठन के रूप में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत 53 विभागों की 950 विभागीय लेखापरीक्षित इकाइयों, धारा 19(1), धारा 19(2) के अंतर्गत 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 23 लेखापरीक्षित इकाइयों और धारा 14, 19(2), 19(3) एवं 20(1) के अंतर्गत 38 स्वायत्त निकायों की 35 लेखापरीक्षित इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

(अनुच्छेद 1.4)

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2: शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

'शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' पर 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन प्रभावी, कुशल और किफायती था। लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और चयनित 18 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की जांच शामिल थी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नीति और रणनीति को 15 माह की देरी से

[1] राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम का योग।

अनुमोदन दिया और वह भी विभिन्न हितधारकों से परामर्श किए बिना। इसके अलावा, नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी कोई अल्पकालिक या दीर्घकालिक योजना तैयार नहीं की थी। इन योजनाओं के अभाव में, शहरी स्थानीय निकायों में अवसंरचना परियोजनाओं की योजना और चयन आवश्यकता विश्लेषण पर आधारित नहीं था।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच किए गए तीन शहरी स्थानीय निकायों (गुरुग्राम, सोनीपत और शाहबाद) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधानों वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियमों को अधिसूचित नहीं किया था। नमूना-जांच किए गए शेष 15 शहरी स्थानीय निकायों ने देरी से उपनियम अधिसूचित किए। वर्ष 2017-22 के दौरान नमूना-जांच किए गए 14 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर किए गए आवर्ती व्यय की तुलना में उपयोगकर्ता प्रभारों के संग्रहण की प्रतिशतता 0.37 और 3.38 प्रतिशत के बीच रही। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को स्व-निर्भर गतिविधि बनाने के लिए उपयोगकर्ता प्रभारों को संशोधित नहीं किया।
- वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण एवं संग्रहण क्रमशः 70 प्रतिशत एवं 98 प्रतिशत बताया गया, हालांकि, लेखापरीक्षा ने नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में पाया कि उन्होंने एकत्रित अपशिष्ट का दिन/माहवार डेटा नहीं रखा था। लेखापरीक्षा नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान किए गए डेटा की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकी क्योंकि रिपोर्ट किए गए डेटा तक पहुंचने के लिए अपनाए गए मानदंड/प्रक्रिया लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। वर्ष 2017-22 के दौरान, उत्पन्न कुल अपशिष्ट 103.58 लाख टन बताया गया था, जिसमें से 64.86 लाख टन अपशिष्ट (63 प्रतिशत) बिना किसी प्रसंस्करण के डंपसाइटों पर फेंक दिया गया था।
- वर्ष 2021-22 के दौरान 77 डंपसाइटें ऐसी थी, जहां शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लिए बिना अपशिष्ट फेंक रहे थे। इसके अलावा, 29 डंपसाइटों के संबंध में जैविक उपचार का कार्य नहीं दिया गया और 48.77 लाख मीट्रिक टन (48 प्रतिशत) लीगेसी अपशिष्ट डंपसाइट पर अप्रसंस्कृत पड़ा हुआ था (अप्रैल 2023)।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अधिसूचना के सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना अब तक (मार्च 2023) केवल एक क्लस्टर (सोनीपत-पानीपत) में ही संचालित की जा सकी है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि फरीदाबाद-गुरुग्राम क्लस्टर का अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र अब तक (अक्तूबर 2024) पूरा नहीं हो सका, क्योंकि रियायतग्राही बंधवाड़ी लैंडफिल साइटों पर जमा अपशिष्ट को साफ/प्रबंधित करने में विफल रहा। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय/नगर निगम, गुरुग्राम ने नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के लिए ₹ 4.92 करोड़ का परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति नहीं लगाई थी। इसके अलावा, नगर निगम, गुरुग्राम और नगर निगम, फरीदाबाद को परियोजना के निर्धारित समय पर लागू न होने के कारण उच्च टिपिंग/परिवहन प्रभारों के भुगतान के कारण ₹ 108.93 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार

उठाना पड़ा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बंधवाड़ी साइट पर लीगेसी अपशिष्ट का जैविक उपचार न करने के लिए नगर निगम, गुरुग्राम पर ₹ 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया।

सिफारिशें:

- *राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय संसाधन अंतराल को दूर करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की स्व-निर्भरता के लिए प्रयास करने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता फीस के संग्रहण के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करें।*
- *राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को समयबद्ध ढंग से पर्याप्त संख्या में सेनिटरी भूमिभरण स्थल स्थापित करने तथा शेष लीगेसी अपशिष्ट का जैविक उपचार करने के निर्देश दे।*
- *हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिना प्राधिकार के अपशिष्ट का निपटान करने पर शहरी स्थानीय निकायों के विरूद्ध कार्रवाई करे।*
- *राज्य सरकार शेष क्लस्टरों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाए तथा रियायत करार में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रसंस्करण संयंत्रों का संचालन सुनिश्चित करे।*

अध्याय 3: गेहूं की खरीद, भंडारण और भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्दगी

'गेहूं की खरीद, भंडारण और भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्दगी' पर निष्पादन लेखापरीक्षा नवंबर 2022 से सितंबर 2023 तक की गई, जिसमें अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक (रबी विपणन सीजन 2017 से रबी विपणन सीजन 2021) की अवधि को शामिल किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अन्य राज्य खरीद एजेंसियों के कार्यालयों में अभिलेखों की जांच की गई।

कुल 22 जिलों में से आठ जिलों और इन आठ जिलों की मंडियों का विस्तृत जांच के लिए चयन किया गया। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच की गई कुछ मंडियों में बुनियादी सुविधाओं जैसे तौल कांटे, अग्निशमन व्यवस्था, किसान विश्राम गृह, कैंटीन आदि की उपलब्धता पर्याप्त नहीं थी। कुछ मंडियों में तौल कांटे की अनुपलब्धता के कारण, हैफेड द्वारा मंडी के बाहर स्थित तौल कांटों तक गेहूं के परिवहन पर ₹ 2.93 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने गेहूं की खरीद के लिए उच्च ब्याज दरों पर निधियों की व्यवस्था की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 222.24 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा। चूंकि खरीद प्रक्रिया में शामिल गतिविधियों के लिए समय-सीमा तय नहीं थी, इसलिए किसानों को भुगतान में देरी हुई। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में गेहूं को ओपन प्लिंथ किराए पर लेकर अवैज्ञानिक तरीके से भंडारित किया गया, जिससे गेहूं का स्टॉक क्षतिग्रस्त हो गया।
- राज्य सरकार ने रबी विपणन सीजन 2020-21 के लिए कमीशन एजेंटों (मंडियों में आढ़तियों) को ₹ 48.12 प्रति क्विंटल की दर से कमीशन का भुगतान किया, जबकि

भारतीय खाद्य निगम ने ₹ 46 प्रति क्विंटल कमीशन तय किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य खरीद एजेंसियों को ₹ 14.27 करोड़ की हानि हुई। इसके अलावा, कवर्ड गोदामों के लिए संरक्षण एवं रखरखाव प्रभार को अनंतिम लागत शीट में शामिल न किए जाने के कारण राज्य खरीद एजेंसियों को ₹ 90.30 करोड़ की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, रबी विपणन सीजन 2018-19 तथा इसके बाद लागत शीट को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सिफारिशें:

- *राज्य सरकार द्वारा मंडियों में किसानों के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं जैसे तौल कांटे, अग्निशमन व्यवस्था, किसान विश्राम गृह, कैंटीन तथा बैंक उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।*
- *राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद प्रक्रिया के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण लेने के विकल्पों की व्यवहार्यता पर विचार किया जाना चाहिए।*
- *राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को समय पर दावे प्रस्तुत करने के लिए खाद्यान्न खरीद से संबंधित वार्षिक लेखों को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अंतिम रूप देने में तीव्रता लानी चाहिए।*

अध्याय 4: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण

'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्षों की अवधि में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) की गतिविधियों को शामिल करते हुए की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- यद्यपि 2017-18 से 2022-23 के दौरान श्रम उपकर संग्रह ₹ 2,153.11 करोड़ था, बोर्ड ने 2017-18 से 2022-23 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर कुल उपलब्ध निधियों (अर्थात ₹ 5,553.71 करोड़) में से केवल ₹ 1,656.78 करोड़ (29.83 प्रतिशत) का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने आयकर अधिनियम की धारा 10 (46) के अंतर्गत कर छूट के लिए समय पर आवेदन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 713.25 करोड़ की आयकर देयता हो गई।
- लेखापरीक्षा में प्रशासनिक मामलों में कमियां पाई गई, जैसे वार्षिक रिपोर्ट तैयार न करना, राज्य सलाहकार समिति की बैठक न बुलाना तथा बोर्ड की बैठकों में कमी।
- श्रम विभाग और अन्य कार्य निष्पादन विभागों के साथ भवन योजनाओं के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के कारण बड़ी संख्या में निर्माण कार्य पंजीकृत नहीं किए गए। निरीक्षण और अपंजीकृत प्रतिष्ठानों को नोटिस देने के बाद भी प्रतिष्ठानों का पंजीकरण नहीं करवाया गया था।
- पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण निर्माण श्रमिकों को लाभ प्रदान करने का बोर्ड का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका,

क्योंकि श्रमिकों को इन योजनाओं की जानकारी ही नहीं थी और वे अपंजीकृत रह गए। इसके अतिरिक्त, लंबित आवेदनों पर विभाग की निष्क्रियता के कारण संभावित लाभार्थी भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए।

- लेखापरीक्षा में अग्रिम उपकर के कम संग्रह के मामले पाए गए। इसके अतिरिक्त, मिलान प्रणाली की कमी के कारण बोर्ड और अन्य विभागों द्वारा दिए गए आंकड़ों में विसंगतियां थी।
- निरीक्षण के बाद की प्रक्रिया में अनुपालन रिपोर्टों की अपर्याप्त जांच के साथ-साथ इन अनुपालन रिपोर्टों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव भी पाया गया। वितरित लाभों की संख्या और पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या के बीच कोई सह-संबंध नहीं था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के अधिकारियों ने आवेदनों और दस्तावेजों में दिए गए विवरणों का उचित सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अपात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए गए।

सिफारिशें:

- *विभाग/बोर्ड, निर्माण कार्यों के पंजीकरण के लिए कार्य निष्पादन विभागों और भवन योजना को अनुमोदित करने वाले प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करे और श्रमिकों के पंजीकरण के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करे।*
- *बोर्ड, श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे।*
- *विभाग/बोर्ड, प्रतिष्ठान-वार उपकर के उपार्जन एवं प्राप्ति की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करे।*
- *विभाग/बोर्ड, निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों के संबंध में प्रतिष्ठानों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करे तथा निरीक्षण मामलों में पाए गए विचलन के संबंध में उचित कार्रवाई न करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे।*

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 5: कार्यों के दायरे में वृद्धि और परिवर्तन

'कार्यों के दायरे में वृद्धि और परिवर्तन' नामक विषय विशिष्ट लेखापरीक्षा नौ सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में नमूना-जांच द्वारा की गई थी, जहां 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- 14 मामलों में सक्षम प्राधिकारी से वृद्धि की स्वीकृति लिए बिना ही ₹ 108.91 करोड़ के अनुबंध राशि के विरुद्ध ₹ 255.70 करोड़ का भुगतान किया गया था।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि विस्तृत अनुमान तैयार करते समय निर्माण स्थल की परिस्थितियों का दोषपूर्ण आकलन, कार्य आबंटन के बाद नई मदों/संरचना को जोड़ने, कार्य आबंटन के बाद विनिर्देशों में परिवर्तन, ठेकेदार को कार्य आबंटन से पहले कार्य के दायरे को अंतिम रूप न देने और जन प्रतिनिधियों की मांग के कारण विनिर्देशों में परिवर्तन/परिवर्धन के कारण कार्यों

में संवर्धन हुआ। नमूना-जांच किए गए सभी मामलों में, संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए बिना और संशोधित प्रशासनिक स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना ही कार्य निष्पादित किए गए और भुगतान किए गए थे।

- जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के कुछ मंडलों में, ई-निविदा से बचने के लिए प्रारंभिक निविदा राशि ₹ एक लाख से कम रखी गई थी और बाद में इसे बढ़ा दिया गया था। यह पाया गया कि ₹ 77.89 करोड़ की अनुबंध राशि के विरुद्ध ₹ 178.13 करोड़ का भुगतान करने के बाद भी पांच परियोजनाएं अधूरी पड़ी थी। 13 मामलों में कार्य पूर्ण करने में 4 से 45 माह तक का विलंब था। उच्च दरों पर भुगतान कर ठेकेदारों को ₹ 73.73 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया, जिसमें से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ₹ 6.64 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। इसके अतिरिक्त, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य पूरा होने से पहले ही दो ठेकेदारों को ₹ 16.80 करोड़ की प्रतिधारण राशि वापस कर दी गई थी।

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 6: अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (विभाग)

महिला एवं बाल विकास विभाग में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तंत्र में स्वीकृति के लिए आवेदनों के चयन और निधियों की संस्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान, दोहरे आवेदनों को पहचानने और हटाने की व्यवस्था न होने के कारण जीवन बीमा निगम को ₹ 15.54 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 6.1)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा हथिनीकुंड बैराज पर रेस्ट हाउस के निकट रेस्तरां के निर्माण पर किया गया ₹ 1.74 करोड़ का व्यय उपयोग हेतु सुदृढ़ योजना न होने कारण निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 6.2)

भू-स्वामियों को वृद्धित मुआवजे का भुगतान करने में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के कारण भुगतान में 1,593 दिनों की अत्यधिक देरी हुई, जिसके कारण ₹ 2.07 करोड़ का परिहार्य ब्याज भार पड़ा।

(अनुच्छेद 6.3)

भूमि मुआवजे के अवार्ड में प्रकाशित भूमि के त्रुटिपूर्ण माप के कारण भू-स्वामियों को ₹ 3.42 करोड़ मुआवजे का अधिक भुगतान हुआ। शहरी संपदा विभाग ₹ 3.25 करोड़ के ब्याज सहित अधिक भुगतान की गई राशि वसूलने में विफल रहा था।

(अनुच्छेद 6.4)

गुरुग्राम और फरीदाबाद में विभिन्न न्यायालयों के निर्णयानुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा वृद्धित मुआवजे के भुगतान में देरी के कारण वृद्धित मुआवजे पर ₹ 83.04 करोड़ की दंडात्मक ब्याज राशि का परिहार्य उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 6.5)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रैल 2018 से मार्च 2022 के दौरान सीवरेज बिल जारी न करने (₹ 15.08 करोड़) और पानी की गलत टैरिफ दरें लागू करने (₹ 17.59 करोड़) के कारण ₹ 32.67 करोड़ वसूल करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 6.6)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के दावे को अनियमित रूप से अस्वीकार करने के कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी हुई और परिणामस्वरूप, राज्य के खजाने को ₹ 86.49 लाख की परिहार्य हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.7)

अध्याय 7: अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम ने लिथियम-आयन बैटरी के विनिर्माण के लिए एक प्राइवेट कंपनी को औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, सोहना में लगभग 179 एकड़ भूमि का एक प्लॉट आबंटित किया। कंपनी ने जुलाई 2020 में नियमित आबंटन-पत्र जारी करते समय ₹ 58.71 करोड़ का आनुपातिक वृद्धि मुआवजा शामिल नहीं किया, जैसा कि संपदा प्रबंधन प्रक्रिया-2015 की क्लॉज 2.4 के अंतर्गत अपेक्षित था। परिणामस्वरूप, कंपनी ने आबंटी इकाई को वृद्धि लागत अंतरित नहीं की और भूमि वृद्धि लागत को शामिल न करने के कारण ₹ 9.76 करोड़ कम प्रभारित किया गया।

(अनुच्छेद 7.1)

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा आयकर रिटर्न फाइल करने में लापरवाही के कारण ₹ 5.06 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(अनुच्छेद 7.2)

फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने दोषपूर्ण अनुबंध प्रबंधन और 10 ई-शौचालयों के खराब संचालन एवं रखरखाव के कारण ₹ 1.34 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया।

(अनुच्छेद 7.3)

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड को किसी व्यवहार्यता अध्ययन के बिना गुरुग्राम में खुदरा शराब की दुकानें खोलने के कारण ₹ 6.99 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.4)